

स्टेशन पर सभी गाड़ियों में दूसरे सभी यात्रियों की आश्वासन की मांग पूरी की गयी।

(ग) आंतर (घ). पहले दर्जे की शायि-काशों का कोटा पहले से नियत है। तीसरे दर्जे के शयनयान में इस स्टेशन का कोटा नियत करने के प्रश्न पर ७५३म रेल-प्रशासन विचार कर रहा है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के प्रकाशन

७२६. श्री क० भ० मालवीय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् अपने प्रकाशन बेचती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन प्रकाशनों को खरीदने के लिये पास बनवाने यहाँ हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो लोगों को इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या पग उठायगी ?

कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) :

(क) जी हाँ।

(ख) से (ग). परिषद् के प्रकाशन कुछ स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं पर उपलब्ध हैं।

कृषि भवन नई दिल्ली में स्थित परिषद् के कार्यालय से प्रकाशनों के खरीदने के लिए ऐसा प्रबन्ध कर दिया गया है जहाँ पर किसी भी पास की आवश्यकता नहीं है।

रेलवे सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन

७३०. श्री क० भ० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलों के सेवा आयोगों द्वारा अपने विज्ञापन केवल अंग्रेजी में ही छपाये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कुछ विज्ञापन हिन्दी में भी छपाय जाने की व्यवस्था की

जायगी; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग). मवान नहीं उठाना।

रेलवे के डिब्बों में सूचनायें

७३१. श्री क० भ० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेल डिब्बों में रेलवे की सूचनाय अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं में तो होती हैं किन्तु हिन्दी में नहीं होतीं;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के डिब्बों में हिन्दी में भी कुछ सूचनाय लिखवाने का प्रबन्ध किया जायगा; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क), (ख) और (ग). इस सम्बन्ध में जो वर्तमान आदेश है, उसमें यह कहा गया है कि गाड़ी के डिब्बों में जो सूचनाएं लिखी जाती हैं, व सब हिन्दी में भी लिखी जायं। रेल प्रशासनों से कहा गया है कि व इस आदेश का कडाई से पालन कराये।

दिल्ली के उपनगरीय स्टेशन

७३२. श्री क० भ० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के जो उपनगरीय स्टेशन हैं उन पर न तो मुसाफिरों के लिए कोई छाया की व्यवस्था है और न ही उचित प्लेटफार्म हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम जल्द ही उठाना चाहती है; और